

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, Dated: 25.04.2011

In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and in supersession of this Department's Notification No.F.12(99)FD/Tax/07-67 dated 14.02.2008 and No.F.12(99)FD/Tax/07-37 dated 20.07.2009, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments executed for taking loan to set up a Micro, Small or Medium Enterprise as defined in the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), or enhancing credit facilities or transfer of loan account from one bank to another by Micro, Small and Medium Enterprises, in the State, shall be reduced and charged:-

- (i) Rs. 100/- per document in case of loan agreements and deposit of title deed and lease contract, and
- (ii) Rs. 500/- per document in case of simple mortgage with or without transfer of possession of property.

[No.F.2(97)FD/Tax/2010--11]
By Order of the Governor,

(Shuchi Tyagi) 25/4/11
Dy. Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ-7 (40)जन/11/2185-634.

दिनांक : 25/05/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
- 3- समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
- 4- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
- 6- ए0सी0पी0, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 7- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 8- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
- 9- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
- 10- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
- 11- समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान
- 12- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
- 13- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
- 14- निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
- 15- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर